हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

पत्रावली ... साहब
आज भ्रमण पर ... जी
२८/८/१९ दिनांक 17/7/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17/7/19 प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षीगण का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/7/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

23/7/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 519/2017

प्रार्थी :— 1.भंवरलाल पुत्र खीमराज जाति सोनारम
2.जेठीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति सोनार निवासी
सजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. मांगाराम पुत्र रूपाराम
2. राजे पत्नि रूपाराम जाति नाई
3. अनु पुत्री राणाराम
4. अचलाराम पुत्र लालाराम
5. देवाराम पुत्र लालाराम
6. तारों पुत्री वाला
7. पुरों बेवा वाला
8. कुंभा पुत्र जोधा
9. पेमा पुत्र डूंगराराम
10. दोला पुत्र डूंगराराम
11. किशनाराम पुत्र नारणा
12. हरलाल पुत्र नारणा
13. नेनू पत्नि नारणा
14. लिखमा पुत्र चेनाराम
15. उदाराम पुत्र चेनाराम
16. देवाराम पुत्र चौखाराम
17. विरमाराम पुत्र चौखाराम
18. जीवाराम पुत्र चौखाराम
19. अनुदेवी पत्नि चौखाराम
20. हिम्मताराम पुत्र पेमाराम
21. चिमाराम पुत्र पेमाराम
22. गुमनी बेवा वेनाराम
23. शेरा पुत्र कोजाराम
24. केसा पुत्र मंगाराम
25. डूंगराराम पुत्र मंगाराम
26. लिखमाराम पुत्र मगाराम
27. तगाराम पत्र ईशराराम
28. लालाराम पुत्र ईशराराम
29. उदाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
30. रामाराम पुत्र भैराराम

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

31. खम्मा पत्नि भैराराम जातियान सुथार सभी निवासीयान रूपजी राजबेरी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री रूगाराम कडवासरा प्रार्थीगण वकील
2.श्री पूनमाराम चौधरी विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 23.07.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रूपजी राजाबेरी के प्रार्थी संख्या –2 के खसरा नम्बर 88 रकवा 34 बीघा 10 विस्वा, खसरा न0 94 रकवा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी सोयम कुल रकवा 41 बीघा 12 विस्वा व विप्रार्थीगण संख्या –1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा न0 349/87 रकवा 17 बीघा 12 विस्वा किस्म बारानी सोयम ग्राम सा. रूपजी राजाबेरी के सरहद तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 31 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 31 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को दिनांक 19.12.2017 को तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 11 ता 14, 16 ता 19, 23 के वकील उपस्थित जबाब पेश करने हेतु समय चाहा गया किन्तु पर्याप्त समय देने के वावजूद भी विप्रार्थीगण संख्या 11 ता 14, 16 ता 19, 23 के वकील ने जबाब पेश नहीं करने पर जबाब वंद किया गया । विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कि जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय वहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं ख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक सा0 पदमसिंह को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner